(नियम 26)

2022/403

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम झुंझुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव बनाम श्री मुकेश कुमार S/o श्री राम वर्मा

किस्म मुकदमा FSSA नं. 57 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.11.2022	यह प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 एवं सपठित धारा 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैर सायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21.12.2022 को पेश हो।	Mukesh Kumar
21.12.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी 1 के 27, हाउसिंग बोर्ड, झुन्झुनू में मै0 कामधेनू सप्लायर्स के नाम फर्म है। जहां वह पाश्च्युरीकृत टोन्ड दुध (सरस) का बेचान करता है। उसकी फर्म से पाश्च्युरीकृत टोन्ड दुध (सरस) का सैम्पल लिया गया था जो कि मिसब्रान्डेड पाया गया है। यह दुध उसने पैक्ड ही सप्लायर से खरीदा था तथा पैक्ड ही बेचान करता है। उसने सप्लायर से दुध खरीद का पक्का बिल प्राप्त नही किया था लेकिन सैम्पल भरने के बाद से उसने उस सप्लायर से दुध लेना बन्द कर दिया है तथा खरीद का बिल भी लेना शुरू कर दिया है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./2457/एक्ट/2022/2485 दिनांक 03.08.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ पाश्च्युरीकृत टोन्ड दुध (सरस) मिस ब्राडेन्ड (Misbranded) पाया गया है। जो एफ.एस. एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी फर्म मै0 कामधेनू सप्लायर्स पर पाश्च्युरीकृत टोन्ड दुध (सरस) का बेचान करता है तथा स्वयं फर्म मालिक है। उक्त दुध को सप्लायर से खरीद का कोई बिल आदि भी प्रस्तुत नही किया है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ पाश्च्युरीकृत टोन्ड दुध (सरस) मिस ब्राडेन्ड (Misbranded) पाये [illegible] के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री मुकेश कुमार पुत्र [illegible] मै0 कामधेनू सप्लायर्स, 1 के 27, हाउसिंग बोर्ड, झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) का दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 10000/- [illegible] दण्डित किया [illegible] उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट [illegible] 15 दिवस में जरिये चालान [illegible] जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:30:59 IST
Reason: SelfAttested